

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रदीप कुमार पिता-श्री हरिनन्दन रविदास ग्राम-सुन्दरपुर पो०-नदवां थाना-धनरूआ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	राजेन्द्र यादव पिता-चन्द्रिका यादव ग्राम-पो०-दीन दयालपुर थाना-जी०बी० नगर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	गांगो कुंवर पति-उपेन्द्र भगत ग्राम-महौता पो०-कोइलहरा थाना-मधुबन जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	सफीना खातुन पति-मो० अख्तर आलम ग्राम-पो०-गोविन्दापुर थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
5	श्री गणेश पिता-स्व० कमला प्रसाद मेहता ग्राम-मसुरीया-10 पो०-बनौल थाना-सरसी जिला पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

6	बिजय प्रसाद पिता-ललीत किशोर ग्राम-रोड नं०-9 अशोक नगर पो०-लोहिया नगर थाना-कंकड़बाग जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
7	राम जतन सिंह पिता-स्व० जगदयाल सिंह ग्राम-पो०-बारा थाना-कुर्था जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
8	रीना देवी पति-अनिल मालाकार ग्राम-हरियाभीर पो०-बीसनपुर थाना-कोढ़ा जिला-कटिहार	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
9	चुन्नी देवी पति-संजय कुमार ग्राम-गाड़ी खाना धामघर पो०-थाना-खगौल जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
10	उर्वशी कश्यप पति-संतोष कुमार ग्राम-चोचाही पो०-चोचाही सरैया थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
11	मुन्नी देवी पति-भुनेश्वर प्रसाद साह ग्राम-बरियारपुर बाजार पो०-थाना-बरियारपुर जिला-मुंगेर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
12	जाहीदा खतुन पति-मो० नसीरुद्दीन कुरैशी ग्राम-सदरगली पटना सिटी पो०-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
13	चन्द्रमनी देवी पति-अखिलेश सिंह ग्राम-ढोरहा पो०-थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

14	ललन राय पिता- रामेश्वर राय ग्राम-लोहिया मार्केट, मोतीपुर पो0+थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
15	त्रिवेणी पाण्डेय पिता-स्व0 कैलाश पाण्डेय ग्राम-नावाडीह पो0-ओसाई थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
16	विनय पासवान पिता-दुर्मिल पासवान ग्राम-पासवान टोला वार्ड नं0-3, पो0+थाना+जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
17	बिरेन्द्र यादव पिता-घनश्याम यादव ग्राम-मीरपुर, पो0-गनपुरा थाना-नुरसराय जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
18	दिलिप चौहान पिता-रामाशीष चौहान ग्राम-नेहुसा बिगहा पो0-नेहुसा, थाना-हरनौत जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
19	धनेश महतो पिता-स्व0 एतवार महतो ग्राम-सिरिरीया पो0-दामोदरपुर, थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
20	उमेश प्रसाद पिता-स्व0 शीतल प्रसाद ग्राम-भट्टा रोड पंचवटी नगर पो0-थाना-दानापुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
21	कमला देवी पति-ललन प्रसाद केसरी ग्राम-पो0+थाना-बिहियां जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
22	बिन्दु देवी पति-जोगीन्द्र कुशवाहा ग्राम-बंगराखुर्द पो0-थाना-रिविलगंज जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 29,90,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,90,000/- (उनतीस लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 691778 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम—"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 691778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1098(14)

पटना, दिनांक 21-6-18

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल मा० सांसद / श्री श्याम बाबु प्र० यादव मा० सो० वि० सो० / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/18
निदेशक प्रमुख
श्री. वि. रंजी

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.6.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० अनिस मियां पिता-ओली मियां ग्राम-मधुरापुर पो०-नारायणपुर थाना-भवानीपुर जिला-भागलपुर	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० रेयाज उद्दीन पिता-मो० सुलेमान ग्राम-पहाड़पुर पुलिस कालोनी अनिसाबाद, पो०-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना।	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	रूबी देवी पति-धर्मन्द्र महतो ग्राम+पो०-महमदपुर सकड़ा थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	जनार्दन सिंह पिता-स्व० शिव शंकर सिंह ग्राम-शामपुर पो०-जगरनाथा थाना-उचका गांव जिला-गोपालगंज	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	शिवजी सिंह पिता-राम चन्द्र सिंह ग्राम-चपता पो०-महथी धर्मचंद्र थाना-तिसीयौता जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

6	प्रमीला देवी पति-उमेश कुमार ग्राम+पो0-बाघी थाना-मुफसिल जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
7	चन्दन कुमार पिता-बिरेन्द्र ठाकुर ग्राम-रूहेलागंज पो0-लालबाग थाना-वि0 वि0 जिला-दरभंगा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
8	खुशबु देवी पति-कामदेव साह ग्राम-सुकरना पो0-धनपतगंज थाना-रौटा जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
9	उमेश कुमार पिता-राम जीनीश कापर ग्राम-सोनार पो0-पोखर भिंडा थाना-रीगा जिला-सीतामढी	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
			कुल 10,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 10,00,000/- (दस लाख) का क्रास चेक सं०.....~~694774~~.....
.....मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0 /-


(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1093(14)

पटना, दिनांक 21.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल मा0 सांसद / श्री अब्दुल जलील मस्तान, मा0 पूर्व मंत्री / श्री राणा रंधीर, मा0 मंत्री सहकारिता विभाग / सभी संबंधित मरीजों को / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
21.6.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिव नन्दन यादव पिता-ध्रुव प्रसाद यादव ग्राम-खरौनी पो०-गोरगम्मा थाना-बाँसी, जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	आमना खातुन पति-मो० हलीम अंसारी ग्राम-धर्मपुर नारायण पो०-रामपुर हरि थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
3	लाल बाबु प्रसाद पिता-स्व० युमना प्रसाद ग्राम-बिशुनपुर धीर पो०-पीपरा खेम थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	विमल कुमार पिता-स्व० चन्द्रदेव यादव ग्राम-मझनपुरा पो०-सुरुगापुर थाना+जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,10,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,10,000/-(सात लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~694779~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~694779~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1097(14)

पटना, दिनांक 21.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई टी०. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/18
निदेशक प्रमुख